9.9.19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी के सादय शपथ पत्र पेश किया शामिल पत्रावली किया बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1.10.19 वादि वकील द्वारा निर्णय दिनांक 9.9.19 की पालना मे डिक्री जारि करने हेतु स्टाम्प पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारि कर शामिल पत्रावली की गई

यालय उपखण्ड अधि
ोन अधिकारी :– कपिल या
वाद संख्या :– 243/201
अमन भादु पुत्र श्री बद्री
हनुमानगढ।
बद्री प्रसाद पुत्र शिवल
हनुमानगढ।
हनुमान पुत्र बद्री प्रस
हनुमानगढ।
अन्जु पुत्री बद्रीप्रसाद प
तहसील व जिला हनुमा
कैलाश पुत्री बद्रीप्रसाद
तहसील व जिला हनुम
एस.डी.एफ.सी. शाखा
राजस्थान सरकार जरि
विमला पत्नी बद्री प्र
हनुमानगढ।
्रा अन्तर्गत धारा
श्री सुरेन्द्र सिहाग अ
श्री अमरिकसिंह अधि
राज पैरोकार
वादी द्वारा प्रतिवादी
न्यायालय में प्रस्तुत वि
चक 14 जे.डी.डब्ल्यू.
कन भूमि दर्ज राजस्व
59 सम्वत 2074 से
अर्जीदावा की दफा
श्री शिवलाल की भूमि
औद हुई उक्त भूमि
भूमि का घरा घरू
प्त अपने हक हिस्सा
किया है। प्रतिवादी
वादी संख्या 1 व 2
ो को वाके चक 14
63 हैक्टर में से 2.40
किन भूमि प्राप्त हुई
ो अनुसार काबिज

Scanned by CamScanner

2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 243/2019

1 अमन भादु पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 बद्री प्रसाद पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।

2 हनुमान पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।

3 अन्जु पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ।

4 कैलाश पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ।

5 एस.डी.एफ.सी. शाखा हनुमानगढ़।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़।

7 विमला पत्नी बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 7
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 6

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 09.09.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 63/59 मे 7.463 हैक्टर बारानी नहरी मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 63/59 सम्वत 2074 से 2077 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 में वर्णित पूर्व में मुझ वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. श्री शिवलाल की भूमि थी जो शिवलाल के बाद बसिलसिला विरास्तन प्रतिवादी संख्या 1 पर आद हुई उक्त भूमि मुझ वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है वादी व प्रतिवादीगण नें उक्त भूमि का घरा घरू बंटवारा कर लिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 के हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में घरू बंटवारा कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा मुझ वादी को वाके चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 63/59 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 7.463 हैक्टर में से 2.404 हैक्टर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 2.403 हैक्टर भूम मय गैर मुमकिन भूमि प्राप्त हुई है। व शेष भूमि स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आई है, तथा इसी अनुसार काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद के नाम अंकन होनें से मुझ

लगातार 2

Scanned by CamScanner

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करनें का अधिकारी है। कि चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 63/59 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 7.463 हैक्टर में वादी 2.404 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 2.403 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है।

उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है। मुझ वादी व प्रतिवादीगण नें काश्त की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। परन्तु खाता संयुक्त होनें की वजह से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य शीव बंट का विवाद रहता है। इसलिये वादी मुताबिक घरू बंटवारा अपना खाता अलग कायम करवाना चाहता है। घरू बंटवारा निम्न से है :-

(क) वादी अमन का हिस्सा :- चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 56/240 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 55/240 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 19/.127, 20 तादादी 2.404 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान का हिस्सा :- चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 57/240 मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 17 ता 24, पत्थर नम्बर 55/240 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 18, 19/.126, तादादी 2.403 हैक्टर।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादी के हिस्सा की घोषणा व घरू बंटवारा अनुसार खाता तकसीम करवानें हेतु कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे परन्तु 10 रोज पूर्व मुकाम फतेहगढ़ मे साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखासमत है।

प्रतिवादी संख्या 5 के यहां भूमि रहन होने से व प्रतिवादी संख्या 6 को लैण्ड होल्डी होनें से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे :-

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाके चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 63/59 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 7.463 हैक्टर भूमि में वादी 2.404 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2, 2.403 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है,

(ख) वाद की मद संख्या 4 में वर्णिम घरू बंटवारा मुताबिक खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करनें का आदेश फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों नें राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 63/59 मे 7.463 हैक्टर बारानी नहरी मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि मुझ वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. शिवलाल की भूमि थी जो शिवलाल के बाद बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई उक्त भूमि मुझ वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 7 नें उक्त भूमि का घरा घरू बंटवारा कर लिया है तथा

लगातार 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	56/240 (49)	16 ता 19, 22 ता 25	2.024 हैक्टर
		55/240 (50)	19/.127, 20	0.380 हैक्टर
कुल भूमि :–				2.404 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	58/239 (47)	7, 8, 13/1 का .126	0.632 हैक्टर
		56/240 (49)	13, 14, 15	0.759 हैक्टर
कुल भूमि				1.391 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	57/240 (48)	17 ता 24,	2.024 हैक्टर
		55/240 (50)	18, 19/.126,	0.379 हैक्टर
कुल भूमि :–				2.403 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 7 विमला पत्नी बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	57/240 (48)	11 ता 15	1.265 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

7

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 243/2019

1 अमन भादु पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ। — — **वादी**

–:: बनाम ::–

1 बद्री प्रसाद पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।

2 हनुमान पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।

3 अन्जु पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ।

4 कैलाश पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी फतेहगढ़ खिलेरी बास तहसील व जिला हनुमानगढ।

5 एस.डी.एफ.सी. शाखा हनुमानगढ़।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़।

7 विमला पत्नी बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 09.09.2019

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 7 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 7 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक ......7..09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 14 जे.डी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 63/59 में दर्ज 7.463 हैक्टर में वादी संख्या 1 अमन भादू पुत्र बद्री प्रसाद को 2.404 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान पुत्र बद्री प्रसाद को 2.403 तथा प्रतिवादी संख्या 7 बिमला पत्नि बद्री प्रसाद को 1.265 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी अमन भादु पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	56/240 (49)	16 ता 19, 22 ता 25	2.024 हैक्टर
		55/240 (50)	19/.127, 20	0.380 हैक्टर
कुल भूमि :–				2.404 हैक्टर

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	58/239 (47)	7, 8, 13/1 का .126	0.632 हैक्टर
		56/240 (49)	13, 14, 15	0.759 हैक्टर
		कुल भूमि		1.391 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	57/240 (48)	17 ता 24,	2.024 हैक्टर
		55/240 (50)	18, 19/.126,	0.379 हैक्टर
		कुल भूमि :–		2.403 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 7 विमला पत्नी बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 जे.डी.डब्ल्यू.	63/59	57/240 (48)	11 ता 15	1.265 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक ...7...09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –

Scanned by CamScanner